वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई निश्चित अनुपात नहीं था जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा कण्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन किया जा रहा हो। पुरानी योजना के अन्तर्गत जो 30-6-1981 तक लागू थी, काफी बड़ी मात्रा में कण्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा किया जा रहा था तथा शेष मात्रा का उत्पादन निजी मिलों द्वारा किया जा रहा था। संशोधित योजना के अन्तर्गत निजी मिलों से कण्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने के लिए नहीं कहा गया है।

Annual production as well as average exchange earning through export of Opium

3127. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the details regarding the annual production as well as average of exchange earning through the export of opium during the last three years year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) The production of opium and the foreign exchange earned from exports of opium during the last 3 years are given below:—

Year	Production of poium (in tonnes) at 90 consistence.	Foreign exchange earned	Average foreign exchange earned during the last three years (in crores of rupees approx.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1978-79	1413	38·63	31·26
1979-80	966	31·96	
1980-81	1126 (provisional)	23·18	

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से गृह निर्माण ऋण

3128. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से भी गृह निर्माण ऋण देने की योजना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरे क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यिक बैंकों के सीमित संसाधनों पर अर्थ व्यवस्था के प्रतियोगी उत्पादक क्षेत्रों की समग्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गये भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आवास व्यवस्था के लिए बैंकिंग प्रणाली से, थोड़ी-सी सहायता दिये जाने की ही व्यवस्था है । इसके अलावा इन नीतियों को अधिकांश हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवेलपमेंट कारपोरेशन और राज्य आवास बोर्डों के गारण्टी शुदा बांडों और डिबेंचरों में लगाया जाना है ।

(ख) आवास वित्त पोषण के सम्बंध में शर्तें और निबंधन नीचे लिखे अनुसार हैं:--

(1) **प्रयोजन :** भवन निर्माण, मरम्मत आदि के लिए बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

(2) **ब्याज की दर** . इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध राशि और विभिन्न वर्गों के ऋणकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें नीचे लिखे अनुसार हैं:--

(क) अनुसूचित जातियों और जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं को 5 हजार रुपये समेत और तक की राशि के ऋण--4 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(ख) अन्य को 5 हजार रुपये समेत और तक--12-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(ग) 5 हजार रुपये से ऊपर और 50 हजार रुपये तक--13-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(घ) 50 हजार रुपये से ऊपर--15 प्रतिशत प्रति वर्ष

(3) **मार्जिन :** बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला आवास वित्त सामान्यतः परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को सीधे दिये जाने वाले ऋणों के बारे में बैंक कुल लागत के 80 प्रतिशत तक वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

(4) **वापसी की अवधि :** वापसी अदायगी की अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(5) **जमानत :** जमानत के तौर पर सम्पत्तियों का गिरवी रखा जाना, अथवा अन्य उपलब्ध जमानतें शामिल हो सकती हैं । इस प्रकार की जमानतों के अभाव में सरकार की गारण्टी बैंकों के लिए स्वीकार्य होगी ।

Indian Aluminium Sulphate lying at Tanzania Port

3129. SHRI G. NARASIMHA REDDY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a load of Indian produced aluminium sulphate for purifying drinking water has been lying at the Tanzania Port as the foreign Government has refused to accept the same;

(b) whether the consignment has already suffered a heavy demurrage and, if so the cost and the demurrage to be paid; and

(c) the reasons for refusal to take delivery and what steps Government are taking to intervene in the matter?